



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक 20723/अका./अ.मं./2023

रायपुर, दिनांक: 21/12/2023

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का क्रमांक 22 की धारा 28 की उपधारा 2 की कंडिका (i) से (V) तक के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के टेक्नोलॉजी संकायांतर्गत फार्मेसी अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:-

धारा	विवरण	सदस्यों का नाम
28(2)(i)	अध्ययनशाला के आचार्य	1. डॉ. स्वर्णलता सराफ, आचार्य, फार्मेसी संस्थान, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. प्रीति के. सुरेश, आचार्य, फार्मेसी संस्थान, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. संजय जे. डहरवाल, आचार्य, फार्मेसी संस्थान, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
28(2)(ii)	महाविद्यालय स्तर के दो स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष चक्रानुक्रम में	1. निरंक 2. निरंक
28(2)(iii)	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के सह-आचार्य	1. डॉ. श्रीमती मंजू सिंह, फार्मेसी संस्थान, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
28(2)(iv)	महाविद्यालय स्तर के दो स्नातक विभागाध्यक्ष चक्रानुक्रम में	1. निरंक 2. निरंक
28(2)(v)	अधिकतम दो शिक्षकों का माननीय कुलपति जी द्वारा मनोनयन	1. डॉ. अम्बर व्यास, फार्मेसी संस्थान, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर 2. डॉ. दीपेन्द्र सिंह, फार्मेसी संस्थान, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी द्वारा डॉ.संजय जे. डहरवाल, आचार्य, फार्मेसी संस्थान, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर को अध्ययन मंडल का अध्यक्ष मनोनित किया गया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार,

[Signature]
कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 2073/अका./अ.मं./2023

रायपुर, दिनांक: 21/12/2023

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. उप कुलसचिव, परीक्षा/सहायक कुलसचिव, गोपनीय विभाग
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)